हाथ में न जाने देने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन ने दिल्ली में अस्थायी रूप से यह नीति शुरू की है कि पहली सुपुर्दगी और रिफिल की बुकिंग में 22 दिन का अन्तराल हो, फिर भी, उचित मामलों में उपभोक्ता की आवश्कताओं की जांच करने के पश्चात् कम अन्तराल पर भ एल. पी. जी. की बुकिंग की जाती है ।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डरों के फटने संबंधी रक्षात्मक उपाय

1896. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डरों के फटने के कितने मामले दर्ज कराये गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सिलेण्डरों के फटने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगम ने इस संबंध में रक्षात्मक उपायों के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए राज्यों में शिविरों का आयोजन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार ऐसे कितने शिविर आयोजित किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन ने एल.पी.जी. सिलिण्डरों के फटने के 20 मामलों की सूचना दी है ।

(ख) एल. पी. जी. सिलेण्डरों के फटने के मुख्य कारण थे :—

(1) एल.पी.जी. का रिसाव

(2) दोषपूर्ण रबड़ ट्यूब

(3) खराब उपकरण

(4) उपभोक्ताओं की लापरवाही आदि ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन के द्वारा एल.पी.जी. वितरकों को इस बात के अनुदेश हैं कि वे अपने उपभोक्ताओं के समूहों के लिए कम से कम दो सुरक्षा क्लिनिक प्रति वितरक आयोजित करें। हालांकि राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1986–87	1987–88	1988–89 (अक्तूबर 88 के अंत तक)
1064	1954	913

दुकानदारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई में कदाचार

1897. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक गैस कनेक्शन के गैस सिलेन्डरों की गैस खत्म हो जाने पर दुकानदार गैस-वितरकों से गैस की सप्लाई प्राप्त करने के बजाय जो कि अधिक महंगी होती है, गैस-सिलेंडर पहुंचाने वाले किसी अन्य व्यक्ति अथवा गोदाम प्रहरियों से गैस की सप्लाई प्राप्त करते हैं, इस तरह से गैस-वितरक से गैस न लेकर के 25–30 रुपये की बचत करते है, जिसकी जानकारी तेल कंपनियों को है लेकिन इसे रोकने के लिए कंपनियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार इस विषय में कदाचार को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और